भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2451

21 दिसम्बर, 2022 के लिए प्रश्न

पीडीएस के अंतर्गत बाजरे का वितरण

2451. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

श्री खगेन मुर्मु:

श्री एंटो एन्टोनी:

श्री सुशील कुमार सिंह:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में संशोधन करने की योजना बना रही है ताकि इसमें बाजरे और स्थानीय किस्मों को शामिल किया जा सके जिससे किसानों को मदद मिलने के साथ-साथ लोगों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं भी पूरी होंगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आपूर्ति के लिए राज्यों को बाजरा उपलब्ध करा रही है और यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान आपूर्तित बाजरे का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने राज्य को बाजरे का कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया है और यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केरल जैसे उन राज्यों को, जहां आगामी वर्ष में बाजरे का उत्पादन नहीं होने वाला है, बाजरे की आपूर्ति के संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत देश के सभी राज्यों में बाजरे का वितरण किया जाए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या

है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ड.) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि केरल जैसे राज्यों में वितरित खाद्यान्नों में से कम से कम 30 प्रतिशत बाजरा हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) भारतीय खाद्य निगम द्वारा वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रयोजनार्थ खरीदे गए खाद्यान्नों, दालों और बाजरे का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा किसानों को उन फसलों, जिनके लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, की खेती न करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के माध्यम से लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को वितरण हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अत्यधिक राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत, "खाद्यान्नों" को चावल, गेहूं या मोटे अनाज या इनके किसी भी संयोजन के रूप में परिभाषित किया गया है, जो ऐसे गुणवत्ता मानदंडों के अनुरूप हो, जिसे समय-समय पर केन्द्र सरकार के आदेश द्वारा निर्धारित किए जाएं। इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें इस स्कीम को जारी रख सकती हैं या इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले लाभों से अधिक लाभ प्रदान करने वाली खाद्य या पोषण आधारित योजनाओं या स्कीमों को बना सकती हैं। विगत पांच वर्षों के दौरान राज्यों को आवंटित मोटे अनाजों का ब्यौरा **अनुबंध-1** में दिया गया है।

.....2/-

(ग): जी, हां। केरल की राज्य सरकार ने 991 टन रागी प्रदान करने के लिए आग्रह किया है। भारत सरकार ने एनएफएसए के प्रावधानों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मोटे अनाज/मिलेट्स की आपूर्ति उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए करने की प्राथमिकता पर सहमति जताई है। भारत सरकार ने केरल की राज्य सरकार को यह सूचित किया है कि आगामी खरीफ विपणन मौसम (केएमएस) वर्ष 2022-23 से कर्नाटक, केरल राज्य को 1000 टन रागी की आपूर्ति करने में सक्षम हो जाएगा।

(घ) और (ड.): मोटे अनाज (मिलेट्स सहित) पहले से ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के भाग हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मोटे अनाज की खरीद, भंडारण और वितरण विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली (डीसीपी) के अंतर्गत की जाती है। इसके तहत, पीडीएस के अंतर्गत मिलेट्स के वितरण की इच्छा रखने वाले किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को भारतीय खाद्य निगम के साथ परामर्श करके राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई विस्तृत खरीद योजना पर भारत सरकार से पूर्व अनुमति के अध्यधीन रहते हुए केन्द्रीय पूल के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीद करने की अनुमति दी जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खरीदी गयी मात्रा का पीडीएस के अंतर्गत वितरण केवल उसी राज्य में ही किया जाए। इसके पश्चात, एनएफएसए के अंतर्गत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में निर्धारित ऊपरी सीमा के अंदर ही चावल, गेहूं और मिलेट्स की कुल मात्रा सुनिश्चित करते हुए पीडीएस के अंतर्गत वितरण के लिए मिलेट्स की स्वीकृत मात्रा का आवंटन इस विभाग द्वारा किया जाता है।

(च): टीपीडीएस के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को खाद्यान्न (चावल, गेहूं और मोटे अनाज) आवंटित किए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा टीपीडीएस के अंतर्गत दलहन का आवंटन/ वितरण नहीं किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में टीपीडीएस हेतु एफसीआई द्वारा खरीदे गए खाद्यान्न (चावल, गेहूं और मोटे अनाज) का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-2** में दिया गया है।

(छ): फसल विविधीकरण कार्यक्रम वर्ष 2013-14 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की एक उप स्कीम के रूप में मूल हरित क्रांति राज्यों अर्थात पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू है, ताकि धान की खेती में परिवर्तन हेतु वैकल्पिक फसलों के संवर्धित उत्पादन प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और प्रोत्साहन तथा उच्च जैव भार उत्पन्न करने और कम पोषक तत्वों का उपभोग करने वाली फलीदार फसलों के उत्पादन के माध्यम से भूमि उर्वरता को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से अधिक पानी उपभोग वाली धान की फसल के क्षेत्रों को वैकल्पिक फसलों जैसे दलहन, तिलहन, मोटे अनाज ,पोषक अनाज, कपास और कृषि वानिकी में परिवर्तित किया जा सके। फसल विविधीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत कवर की गई मुख्य गतिविधियाँ/हस्तक्षेप हैं- वैकल्पिक फसल प्रदर्शन, फार्म यंत्रीकरण और मूल्य संवर्धन, स्थान विशिष्ट गतिविधियाँ, जागरुकता के लिए आकस्मिकता, प्रशिक्षण, कार्यान्वयन, निगरानी आदि ।

******

अनुबंध-1

दिनांक 21.12.2022 को लोकसभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2451 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

विगत पांच वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार मोटे अनाज के आवंटन को दर्शाने वाला विवरण

आंकड़े हजार टन में

वर्ष	राज्य	अनाज का प्रकार	मात्रा		कुल
2017-18	हरियाणा	बाजरा	20.000	20.000	34.727
	ओडब्ल्यूएस-एसएबीएलए	मक्का	13.000		
	ओडब्ल्यूएस-डब्ल्यूबीएनपी/आईसीडीएस	मक्का	1.727	14.727	
2018-19	हरियाणा	बाजरा	100.000		215.000
		मक्का	15.000		
	उत्तर प्रदेश	मक्का	100.000		
2019-20	हरियाणा	बाजरा	100.000		196.254
	गुजरात	बाजरा	0.891		
	कर्नाटक	ज्वार	1.130		
		रागी	94.233		
2020-21	मध्य प्रदेश	बाजरा	150.164	562.821	572.875
		ज्वार	27.258		
	महाराष्ट्र	ज्वार	1.468		
		मक्का	0.019		
	उत्तर प्रदेश	मक्का	106.413		
	हरियाणा	बाजरा	75.000		
	कर्नाटक	रागी	202.499		
	ओडब्ल्यूएस-डब्ल्यूबीएनपी/आईसीडीएस	ज्वार	3.785	10.054	
		बाजरा	6.269		
2021-22	कर्नाटक	रागी	556.101	558.864	560.845
	उत्तर प्रदेश	मक्का	2.763		
	ओडब्ल्यूएस-डब्ल्यूबीएनपी	बाजरा	1.981	1.981	
2022-23	कर्नाटक	रागी/ज्वार	470.292		559.140
	हरियाणा	बाजरा/मक्का	69.194		
	उत्तर प्रदेश	बाजरा	19.654		

*****

अनुबंध-2

दिनांक 21.12.2022 को लोकसभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2451 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान चावल, गेहूं और मोटे अनाज की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार खरीद को दर्शाने वाला विवरण

मात्रा लाख टन में

क्र. सं.	राज्य	2019-20			2020-21			2021-22		
		चावल	गेहूं	मोटे अनाज	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	चावल	गेहूं	मोटे अनाज
1	आंध्र प्रदेश	55.32			56.66			44.61		
2	तेलंगाना	74.54			94.53			79.77		
3	असम	2.11			1.41			3.79		
4	बिहार	13.41	0.03		23.84	0.05		30.09	4.56	
5	चंडीगढ़	0.15	0.12		0.19	0.11		0.18	0.17	
6	छत्तीसगढ	50.53			47.62			61.65		
7	दिल्ली	0.00			0.00	0.00		0.00	0.06	
8	गुजरात	0.14	0.05		0.74	0.77	0.16	0.82	1.70	0.08
9	हरियाणा	43.07	93.2	1.00	37.89	74.00	1.50	37.06	84.93	
10	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.01		0.00	0.03		0.19	0.13	
11	झारखंड	2.55			4.28	0.00		5.12	0.00	
12	जम्मू और कश्मीर	0.10			0.26	0.00		0.27	0.24	
13	कर्नाटक	0.41		2.02	1.38		5.55	1.47		5.09
14	केरल	4.82			5.20			5.09		
15	मध्य प्रदेश	17.40	67.25	0.06	24.97	129.42	2.25	30.70	128.16	0.38
16	महाराष्ट्र	11.67		1.24	12.72	0.00	1.36	12.27	0.01	0.41
17	ओडिशा	47.98			52.58		0.20	48.31		0.32
18	पुदुच्चेरी	0.00			0.00			0.00		
19	पंजाब	108.76	129.12		135.89	127.14		125.48	132.22	
20	एनईएफ (त्रिपुरा)	0.14			0.16			0.39		
21	तमिलनाडु	22.04			30.53			29.43		
23	उत्तर प्रदेश	37.90	37.00		44.78	35.77	1.06	43.91	56.41	0.03
24	उत्तराखंड	6.82	0.42		7.18	0.39		7.74	1.44	
25	पश्चिम बंगाल	18.38			18.90	0.00		24.01	0.00	
26	राजस्थान		14.11			22.25		0.05	23.4	
	कुल	**518.27**	**341.33**	**4.32**	**601.73**	**389.93**	**12.08**	**592.39**	**433.44**	**6.30**

****